(16)

न्यायालय– चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
(समक्ष : अजय रामावत)

Registration No. CRA/81/2024
Filing No. CRA/5501/2024
CNR No. MP2001008659/2024
Filing Date : 04-03-2024

1. जियालाल पटेल पिता श्री रामनाथ पटैल, उम्र 58 वर्ष,
2. श्रीमती पूनाबाई पति श्री जियालाल पटेल,उम्र 55 वर्ष,
दोनों निवासी– नेता कॉलोनी जिला जबलपुर (म.प्र.)

.....अपीलार्थीगण/अभियोगी

।। वि रू द्ध ।।

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आधारताल,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

.....प्रत्यर्थी/अभियुक्त

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर (श्रीमती रूचि गोलस सगर) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण कं. R.C.T. No.4412072/2012, मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध जियालाल एवं अन्य (पुलिस थाना आधारताल के अपराध कमांक 585/2012 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग दो 34 भा.दं.सं. से उत्पन्न) में घोषित दोषसिद्धी के निर्णय दिनांक 16.02.2024 से उत्पन्न अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं.।

अपीलार्थीगण/राज्य द्वारा :– श्री ओम शंकर पाण्डे अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा :– श्री श्रीमती कुक्कू दत्त एपीपी।

।। नि र्ण य ।।
(आज दिनांक 06 सितम्बर 2024 को घोषित)

06/09/2024

(अजय रामावत)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश,
जबलपुर (म.प्र.)

01– अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी जबलपुर (श्रीमती रूचि गोलस सगर) के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण कमांक आर. सी.टी. 4412072/2012 में घोषित निर्णय दिनांक 16.02.2024 से असंतुष्ट होकर धारा 374 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में दोषसिद्ध ठहराते हुए उन्हें कमशः एक–एक वर्ष के कारावास एवं रूपये 500–500/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अर्थदण्ड राशि अदा करने में व्यतिकम किये जाने की दशा में तीस–तीस दिवस के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण रहे है तथा मध्य प्रदेश राज्य अभियोगी रहा है, इसलिये निर्णय के आगे के चरणों में उन्हें उक्तानुसार ही सम्बोधित किया जा सकेगा।

02– (अ) विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षेप में यह था कि दिनांक 14.10.2012 को शाम के लगभग 17:45 बजे फरियादी माया सिंह के द्वारा पुलिस थाना अधारताल जबलपुर पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उनके मकान के बाजू से जियालाल पटेल का मकान है जो कि मकान का निर्माण कार्य उनके मकान के बाजू में अवैध कब्जा करके दीवाल बना रहा था तो उसने मना किया। पहले मना करने पर वह बोला कि इस जमीन को लक्ष्मीनारायण शुक्ला से खरीदा है। जब उसने बोला कि इस जमीन पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है एवं मामला विचाराधीन हैं। जब तक फैसला कोर्ट से नहीं होगा तब तक आप मकान का निर्माण नहीं करोगे। इस पर जिया लाल ने हसियां से उसके सिर में मार दिया एवं पूना बाई ने भी सिर में मारी जिससे उसे चोट आई है। घटना कलावती बाई, सुक्कू रजक ने देखा है।

(ब) फरियादी की सूचना पर पुलिस थाना अधारताल पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 558/2012 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करके अपराध अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादिया/आहत माया सिंह का मेडीकल परीक्षण करवाया गया, घटना स्थल का मौका नक्शा निर्मित किया गया, फरियादिया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफतार किया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 30.10.2012 को अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय

06/11/2024
(अजय रामादत्त)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

ने आरोपी जियालाल को धारा 294, 324, 506 भाग दो भा.दं.सं. एवं आरोपी पूना बाई को धारा 294, 324/34, 506 भाग दो भा.दं.स. के अंतर्गत दण्डिनीय अपराध के आरोप से आरोपित किया। आरोपीगण के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण की मांग किये जाने पर मामले में विचारण आरम्भ किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की साक्ष्य लेखवद्ध की गई, अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत की गई। आरोपीगण के द्वारा बचाव साक्ष्य नहीं देना प्रकट किये जाने पर प्रकरण अंतिम तर्क के लिये नियत किया गया। उभयपक्ष के अंतिम तर्क सुनने के उपरांत विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.02.2024 को निर्णय घोषित करते हुए आरोपीगण को धारा 294, 506 भाग दो भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया है किन्तु दोनो आरोपीगण को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में इस निर्णय के पैरा क्र. 01 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया है। विचारण न्यायालय के उपरोक्त दोषसिद्धी के निष्कर्ष एवं दण्डाज्ञा से व्यथित होकर ही आरोपीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

03— अपीलार्थीगण के द्वारा अपील में यह आधार लिये गये हैं कि अपीलार्थीगण निर्दोष है एवं उन्हें असत्य रूप से अपराध में लिप्त किया गया है। फरियादिया की मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार उसे कारित उपहति कठोर एवं बोथरी वस्तु से आने का उल्लेख है, फिर भी विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये विना आरोपीगण को धारदार वस्तु से उपहति कारित करने के संबंध में दोषसिद्ध किया है। स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं हुआ है। अपील के अन्य आधार तर्क के दौरान प्रस्तुत किये जायेंगे। अपील स्वीकार की जावे।

04— प्रत्यर्थी/मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विचारण न्यायालय के निर्णय को साक्ष्य के उचित मूल्यांकन एवं विधि अनुरूप होना बताया है। प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के दोषसिद्धी संवंधित निष्कर्ष एवं दण्डाज्ञा को विधि के अनुरूप होना बताते हुए प्रस्तुत अपील निरसत करने का निवेदन किया है।

05— <u>न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय प्रश्न है कि:—</u>

(1) क्या विचारण न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय तथ्य, विधि एवं साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

06/9/2024

(अ...ा रामावत)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

।। सकारण निष्कर्ष ।।

06— अंतिम तर्क के दौरान अपीलार्थी/आरोपीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी पक्ष एवं आरोपी के मध्य पूर्व से भूमि संबंधित विवाद है। अभियोजन ने विचारण न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट को विधिवत प्रमाणित नहीं किया है। अनुसंधान के दौरान कथित घटना के घटना स्थल के आस–पास निवास करने वाले व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं था। अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि फरियादिया ने अपने कथन में आरोपी जियालाल के द्वारा उसे सिर पर धारदार हसिएं से मारना बताया है किन्तु फरियादिया को धारदार आयुध की कोई चोट नहीं पाई गई है, चिकित्सक साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट खुरदुरी एवं ठोस वस्तु पर गिरने से भी आना संभव है। किन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य संपत्ति विवाद और उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट करने में त्रुटि की है। अतः विचारण न्यायालय का निष्कर्ष एवं दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुआ था। अतः अपील निरस्त की जावे।

07— उभयपक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम फरियादिया को कारित चोट एवं उसकी प्रकृति पर विचार किया जाना आवश्यक है। उक्त संबंध में सर्वप्रथम साक्षी डॉ. जयदीप अरोरा अ०सा० 4 की साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। इसी साक्षी ने अपने कथन में घटना दिनांक 14.10.2012 को विक्टोरिया अस्पताल में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते पुलिस थाना अधारताल से आरक्षक क्रमांक 417 मानसिंह के द्वारा आहत माया बाई पति बद्री प्रसाद चौहान को मेडीकल परीक्षण के लिये लाये जाने पर उसका मेडीकल परीक्षण करना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादिया के सिर में बीचो–बीच 4 गुणा 2 से.मी. आकार की मांस–पेशियों की गहराई तक की एक कटे–फटे घाव की चोट पाई गई थी जो कि इस साक्षी के अनुसार परीक्षण से चौबीस घंटे के अंदर कड़े एवं बोथरे औजार से कारित हुई थी। उक्त साक्षी ने मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 को प्रमाणित किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया

06/9/2024

चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

है कि आहत को आई उक्त चोट यदि स्वयं कोई व्यक्ति खुरदुरी एवं ठोस वस्तु पर गिर जाये तो आना संभव है।

08— इस प्रकार साक्षी डॉ. जयदीप अ0सा0 4 के द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य एवं मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय से लगभग एक से डेढ़ घंटे पश्चात् किये गये मेडीकल परीक्षण में फरियादिया माया को मेडीकल रिपोर्ट में वर्णित अनुसार कठोर एवं बोथरी वस्तु से कारित चोट होना पाई गई थी। अब न्यायालय को इन बिन्दु पर विचार करना था कि क्या उक्त चोट आरोपीगण के द्वारा प्रश्नगत घटना के समय कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुआ था।

09— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी प्रेमलाल अ0सा0 3 मामले में अनुसंधानकर्ता अधिकारी है एवं उसे मामले में घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 निर्मित किया है, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये हैं तथा आरोपीगण को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 एवं पी—4 के अनुसार गिरफ्तार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा कं. 03 में इस बात को स्वीकार भी किया है कि घटना स्थल के नक्शे में बताये गये साक्षी किरण बाई को उसने साक्षी नहीं बनाया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य प्रकियात्मक स्वरूप की है।

10— अभियोजन की ओर से घटना के साक्षी के रूप में फरियादिया/आहत माया चौहान अ0सा01 एवं कलावती अ0सा0 2 (फरियादिया की मां का) का ही परीक्षण करवाया गया है एवं अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं हुआ है। अतः फरियादिया/आहत माया बाई एवं उससे हितबद्ध साक्षी उसकी माता कलावती अ0सा0 2 की साक्ष्य पर सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक था।

11— अंतिम तर्क के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य प्लाट की भूमि के संबंध में विवाद एवं रंजिश है एवं इसी कारण से आरोपीगण को अपराध में फसाया गया है। इस संबंध में स्वयं माया अ0सा0 1 ने भी अपने कथन के पैरा कं. 01 में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण उसकी जमीन को दबा लिया है जिसके कारण उन लोगों का विवाद हुआ था एवं अभियुक्तगण उनकी जमीन पर दीवार बनाने लगे थे। स्वयं फरियादिया के द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य

06/9/2024

(अजय रामावत)
नौवें अपर सेशन न्यायाधीश

प्लाट भूमि से संबंधी विवाद है। रंजिश एवं विवाद के संबंध में **न्यायदृष्टांत महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध तुलसीदास भानुदास कामले एवं अन्य, 2007 (3), एस.सी.सी. 1608 (एस.सी.)** सादर अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि शत्रुता दो धारी तलवार है एवं यह मिथ्या फसाने का आधार भी हो सकता है। किन्तु यह घटना का कारण भी हो सकता है।

12— यदि फरियादिया/आहत मायाबाई अ0सा0 1 के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार किया जावे तो फरियादिया माया बाई अ0सा0 1 ने अपने कथन के पैरा क्र. 01 में यह बताया कि उनका विवाद हुआ और जियालाल पीछे से आया और सिर में हसिएं से मार दिया था, जियालाल की पत्नि पूनाबाई ने बेट से सिर में मारा था तथा आरोपीगण का बेटा दीपक भी बीच में आ गया था और उसने भी उसे मारा था। इस प्रकार फरियादिया ने आरोपीगण जियालाल एवं पूनाबाई के साथ—साथ उनके पुत्र दीपक के द्वारा भी मारपीट की घटना कारित की जाना बताया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 एवं अभियोजन के मामले के अनुसार आरोपीगण का पुत्र दीपक प्रकरण में आरोपी के रूप में अभियोजित नहीं है। इस प्रकार फरियादिया माया बाई ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन के दौरान अभियोजन के मामले एवं धारा 161 द.प्र.सं. के अपने कथन में सुधार करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मी बाई विरूद्ध म.प्र. राज्य, 2000 (II) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 101** सादर अवलोकनीय है जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि दण्ड प्रकिया संहिता के पुलिस कथन में वृद्धि या सुधार किया गया, उसके कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

13— अभियोजन की ओर से घटना के साक्षी के रूप में साक्षी कलावती अ0सा02 (फरियादिया/आहत की माता) का परीक्षण करवाया गया है, जिसने अपने कथन में आरोपी जियालाल के द्वारा फरियादिया माया सिंह को हसिएं से सिर पर मारना एवं जिससे सिर कट जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में आरोपी पूनाबाई के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा आरोपीगण के पुत्र दीपक की उपस्थिति के संबंध में भी कुछ नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने कथन में घटना का समय दिन के लगभग 02 से 03 बजे के बीच का होना बताया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 एवं अभियोजन के मामले के अनुसार घटना का समय शाम के लगभग 05:15 बजे का है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई

06/9/2024

चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं कमियां हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य स्वतंत्र साक्षी कमलेश एवं सुक्कू का परीक्षण अभियोजन ने नहीं करवाया है। जबकि रंजिश या संपत्ति संबंधित विवाद से उपजे आपराधिक मामलें में यदि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध हो तो उसकी साक्ष्य करवाई जानी चाहिये। अभियोजन साक्षी फरियादिया मायाबाई अ0सा0 1 तथा कलावाई अ0सा0 2 माता एवं पुत्री होकर एक–दूसरे से हितबद्ध हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं अंतर है। उक्त स्थिति अभियोजन के मामले को प्रारम्भ से ही संदेहास्पद बना देती है। अतः अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं था।

14— विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय न्यायदृष्टांत <u>भजनसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552</u> का अवलंब लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहूंचा है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर ना हो। किन्तु इस मामले में उभयपक्ष के मध्य संपत्ति संबंधी विवाद है तथा फरियादिया माया बाई अ0.सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में सुधार किया है। फरियादिया की माता साक्षी कलावती अ0सा0 2 ने अपने कथन में घटना का समय अभियोजन के मामले से अन्यथा दोपहर के 02 से 03 बजे के बीच का होना बताया है। साक्षी डॉ. जयदीप अ0सा0 4 की साक्ष्य के अनुसार जैसी चोट फरियादिया माया बाई को पाई गई है वैसी चोट खुरदुरी एवं ठोस वस्तु पर गिरने से भी आ सकती है। प्रकरण में हसिये की <u>जप्ती</u> भी नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांत की परिस्थितियां वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत <u>उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध जयप्रकाश, 2007(3) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 33</u> में यह मत प्रतिपादित किया है कि जहां दो राय हो और एक आरोपी की दोषिता की ओर इंगित करता हो और दूसरा निर्दोषिता की ओर इंगित करता हो तो जो अभियुक्त के पक्ष में हो वह मत अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार का मत माननीय न्यायदृष्टांत <u>गब्बर सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, आई.एल.आर. 2016 (डी.बी.) 3091</u> में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी प्रतिपादित किया है। माननीय न्यायदृष्टांत <u>कलीराम विरूद्ध हिमाचल प्रदेश ए.आई.आर. 1973</u> (एस.सी.) 2773 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त के दोष के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाये तो उसके लाभ से आरोपी को वंचित नहीं किया जा सकता है।

06/9/2024

(अजय रावत)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

15– उपरोक्त विवेचना, साक्ष्य विश्लेषण एवं माननीय न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.दं.सं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से युक्तियुक्त संदेह का लाभ देते हुवे दोषमुक्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय का दोषसिद्धी का निष्कर्ष एवं दण्डादेश अपास्त किया जाता है।

16– अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के द्वारा अपील के दौरान प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17– अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने यदि कोई अर्थदण्ड राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करवाई हो तो वह उसे वापस लौटाई जावे।

18– अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण अपील के दौरान अभिरक्षा में रहे हों तो उक्त अवधि के संबंध में भी धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण–पत्र निर्मित कर अभिलेख के संलग्न किया जावे।

19– संबंधित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख, निर्णय की एक प्रति के साथ वापस भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं, हस्ताक्षरित, करके घोषित किया गया।

06/3/2024

(अजय रामावत)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश,
जबलपुर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

06/3/2024

(अजय रामावत)
चौबीसवें अपर सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)